

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 5659 /मीरजापुर/ 33 दिनांक, मीरजापुर, जून 16, 2017
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ ।

विषय- उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 के०वी० जिगना - दादर कला खुर्द, सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उससे प्रभावित 02 वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव ।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर का पत्र संख्या- 4122/मीरजापुर/33 दिनांक 05.05.2017, एवं पत्रांक 4195 (जी०) 15 ई० 15-6-017.
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 के०वी० जिगना - दादर कला खुर्द, सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उससे प्रभावित 02 वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव ऑन लाइन सबमिशन संख्या-FP/UP/TRANS/41154/2017 पर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव 04 प्रतियों में मय टाइमलाइन संलग्नकर प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की इस स्तर से ऑन लाइन सबमिशन कर 03 प्रतियों में मय टाइमलाइन सहित एतद् सह संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
(के०एम०ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 5659 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत के सम्बन्ध में किसी भी दशा में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने पावे ।

(के०एम०ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

जमील /